निगरानी / टी.ए./5750/ 2005/ बूंदी
सूरजभान बनाम शंकरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19.05.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी । श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं.1 सं 4 के पिता कालूलाल पुत्र गोविन्द लाल ने न्यायालय उपखंड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय उपखंड अधिकारी हिण्डोली ने अपने निगरानीधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रस्तुत वाद नोन जोइन्डर आफ पार्टिज के अभाव में पोषणीय नहीं है। वादी ने तथ्य छुपाकर तथा सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया है। धारा 53 बंटवारे के दावे में वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित अर्थात भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किंतु उक्त वाद में वादी ने केवल गोपाल व सूरजभान को ही पक्षकार बनाया है जबकि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार गोविंदलाल के दो पुत्र व दो पुत्रिया वारिस है। उनकी बेवा फौत हो चुकी है लेकिन दोनों पुत्रियां सूरजबाई व सोभागबाई मौजूद है एवं वादग्रस्त आराजी में उनका भी हित निहित है। लेकिन वादी ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। गोविंद लाल की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का ने नामांतरकरण भरते वक्त गोविंद लाल की दोनों पुत्रियां को छोड दिया तो उससे उक्त पुत्रियों का हित समाप्त नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा बहनों को पक्षकार नहीं बनाने एवं मिसजोईन्डर ऑफ पार्टीज के कारण दावा खारिज योग्य था। किंतु उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का पुरजोर विरोध करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पिछले 30 वर्षो से वादी की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य ही विवादित आराजी का बंटवारा होना है। मूल खातेदार गोविंदलाल की पुत्रियों द्वारा अपना हित वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में छोड़ दिये जाने के कारण उक्त भूमि 30 वर्षो से वादी व प्रतिवादीगण के ही कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है। इस प्रकार श्रीमती सूरजबाई व सौभागबाई का विवादित भूमि में कोई हक व स्वामित्व नहीं रहा। उनका यह भी कथन है कि गोविन्दलाल की पुत्रियां श्रीमती सूरजबाई व सौभागबाई का कोई हित वादग्रस्त आराजी में होता तो वह वाद में जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकार बन सकती थी किंतु उनके द्वारा वाद में कोई कार्यवाहीं नहीं की गई। प्रार्थी प्रतिवादी सूरजभान ही वाद में उन्हें पक्षकार बनाना चाहता है। वादी वाद का मालिक होता है तथा उसकी इच्छाअनुसार ही वाद में प्रतिवादी दर्ज किये जाते है। किसी दूसरे पक्ष की इच्छा अनुसार किसी तृतीय पक्ष को बिना उसकी इच्छा के पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश नियमानुसार पारित किया है। उनका कथन है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं.1 सं 4 के पिता कालूलाल पुत्र गोविन्द लाल ने न्यायालय उपखंड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी न्यायालय उपखंड अधिकारी हिण्डोली ने अपने निगरानीधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। वाद पक्षकारान के मध्य बंटवारे को लेकर है तथा वादी एवं प्रतिवादी विवादित आरजी के मूल खातेदार गोविन्दलाल के पुत्र है। प्रार्थी जरिये प्रार्थना पत्र गोविन्दलाल की दो पुत्रियों श्रीमती सूरजबाई व सौभागबाई को वाद में पक्षकार बनवाना चाहता है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकार की दोनों बहने विगत 30 वर्षो से खातेदार अंकित नहीं है एवं प्रतिवादी ने भी स्वयं अपने जवाब में पूर्व में वादी व प्रतिवादी के मध्य भूमि का सहमति से बंटवारा हो जाना तथा विवादित आराजी का स्वामी वादी एवं प्रतिवादी का होना स्वीकार किया है। यदि किसी पक्षकार को किसी विचारधीन प्रकरण में पक्षकार बनना हो एवं अपने अधिकारों की घोषणा करवानी हो तो उसे स्वयं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकार बनाने की प्रार्थना करनी चाहिये। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में जिन महिलाओं श्रीमती सूरजबाई व श्रीमति सौभागबाई को पक्षकार बनाने की प्रार्थना प्रतिवादी प्रार्थी ने	

की है न तो उनका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित है और ना ही उन्होनें अपने अधिकारों की घोषणा करने अथवा उन्हें पक्षकार बनाने के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। बल्कि उन्होंने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्होंने 35 वर्ष पूर्व ही अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में छोड दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया है। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन लाल नेहरा)
सदस्य